

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

//विज्ञापन//

क्रमांक क्र /दो-11-5/2008(Part-II) बैकुण्ठपुर, दिनांक 21.11.2017
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15.12.2017 संध्या 05:00 बजे तक

कोरिया न्यायिक जिला स्थापना के अंतर्गत सामान्य स्थापना एवं फास्ट ड्रेक कोर्ट स्थापना के रिक्त स्टेनोग्राफर हिन्दी एवं अंग्रेजी, सहायक ग्रेड-3(साक्ष्य लेखक/जूनियर नायब नाजिर/सेल अमीन/आदेशिका लेखक/प्रतिलिपिकार/निष्पादन लिपिक), के निम्नांकित पदों पर अहता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के केवल सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :—

क्र 0	रिक्त पद	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग							
			मुक्त	भौला	दिवांग	भूदृष्टिकृ	मुक्त	भौला	दिवांग	भूदृष्टिकृ	मुक्त	भौला	दिवांग	भूदृष्टिकृ	मुक्त	भौला	दिवांग	भूदृष्टि संनिक
1	स्टेनोग्राफर हिन्दी	10 01	-	-	-	-	05	01	-	-	02	-	-	-	01	-	-	-
2	स्टेनोग्राफर अंग्रेजी	02	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
3	सहायक ग्रेड-3	34 01	-	-	-	-	10	05	01	02	02	-	-	-	08	03	01	01
	योग-	46 02	-	-	-	-	16	06	01	02	04	-	-	-	10	03	01	01

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) पद के लिये—

अ— वेतनबैंड -- 5200—20200 + ग्रेड पे 2800/- (संशोधित वेतन पुनरीक्षण नियम -2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 के अनुसार)

ब— शैक्षणिक योग्यता —

- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
- छ0ग0 या मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण—पत्र ।
- विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी0सी0ए0) प्रमाण—पत्र के साथ एम0एस0 वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान ।

(2) स्टेनोग्राफर (हिन्दी) पद के लिये—

अ— वेतनबैंड — 5200—20200 + ग्रेड पे 2800/- (संशोधित वेतन पुनरीक्षण नियम -2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 के अनुसार)

ब— शैक्षणिक योग्यता —

- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
 - छ0ग0 या मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण—पत्र ।
 - विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी0सी0ए0) प्रमाण—पत्र के साथ एम0एस0 वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान ।
- (3) सहायक ग्रेड-3 पद के लिये –**
- अ— वेतनबैंड – 5200—20200 + ग्रेड पे 1900/- (संशोधित वेतन पुनरीक्षण नियम –2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अनुसार)
- ब— शैक्षणिक योग्यता –
- किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
 - छ0ग0 या मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण—पत्र ।
 - विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी0सी0ए0) प्रमाण—पत्र के साथ एम0एस0 वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान ।

महत्वपूर्ण – यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं । अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन—पत्र भेजें ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छ0ग0 के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है ।

आयु एवं पात्रता

(हिन्दी स्टेनोग्राफर, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड-3)

- (1) आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित होना अनिवार्य होगा । (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)
- (अ)– कोई भी उम्रीद्वारा, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होगा ।
- (ब)– एक से अधिक पति / पत्नी न हो अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अनर्ह होंगे ।
- (स)– कोई भी उम्रीद्वारा जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(2) दिनाँक 01.01.2017 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो, परन्तु 40 वर्ष की आयु पूरी न की गई हो ।

(3) **उच्चतम आयु सीमा में छूट -**

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निमानुसार छूट रहेगी :-

3(एक) (1)- यदि अभ्यर्थी ४०गो शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम ०५ वर्ष की छूट दी जायेगी ।

3(एक) (2)- यदि अभ्यर्थी ४०गो शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-७-२५-९३/१ अस०प० दिनाँक 20.01.1994 एवं परिपत्र क्रमांक एफ-३-२/२०१५/१-३ दिनाँक 23.01.2017 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम ०५ वर्ष की छूट दी जायेगी ।

3(एक) (3)- ४०गो शासन स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा ४०गो राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा ४३ वर्ष तक रहेगी । यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत् कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी ।

3(एक) (4)- ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक ०७ वर्ष की कालावधि, भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु उसके परिणाम स्वरूप आयु सीमा ०३ वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :- छटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम ०६ माह तक रहा हो तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक ०३ वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो ।

3(एक) (5)- ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से ०३ वर्ष से अधिक न हो ।

3(एक) (6)- महिलाओं के लिये आयु में शासन के नियमानुसार १० वर्ष शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी ।

3(एक) (7)- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-२/२००२/१/३ दिनाँक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए ०६ माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी । जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे ।

3(एक) (8)– स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्यधीन रहते हुये दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ।

3(एक) (9)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी ।

3(दो) (1)– आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

3(दो) (2)– विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 तथा शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रबीरचन्द्र भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-19-2/2005/1-3 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

टीप :—(1) बिन्दु क्रमांक-3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी ।
(2) बिन्दु क्रमांक-3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी । यह छूट बिन्दु क्रमांक-01 में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी ।

उदाहरण :— यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 05 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी ।

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1. आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ए-4 साईज के पेपर में प्रस्तुत किये जा सकेंगे । प्रारूप से भिन्न आवेदन-पत्र निरस्त किये जा सकते हैं । पूर्णतः भरे हुये आवेदन-पत्र दिनांक 30.11.2017 से दिनांक 15.12.2017 तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद ‘हिन्दी स्टेनोग्राफर, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड-3, के पद पर नियुक्तिहेतु आवेदन-पत्र’ लिखा हो जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर छ0ग0 के कार्यालय में स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/कोरियर द्वारा भेजे जा सकते हैं, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे)

दिनांक 15.12.2017 की संध्या 05 बजे के उपरान्त एवं दिनांक 30.11.2017 के पूर्व प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

- आवेदन—पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण—पत्र, निवास प्रमाण—पत्र, जीवित रोजगार पंजीयन आदि से संबंधित प्रमाण—पत्र की अभिप्रापणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना आवश्यक है ।
2. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण—पत्र अथवा हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रापणित छायाप्रति संलग्न करें ।
 3. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख का उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण—पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा ।
 4. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पूर्ण पता लिखे हुये दो खुले लिफाफे प्रत्येक पर 5/- रुपये की डाक टिकट चर्चा करते हुये आवश्यक रूप से संलग्न करें ।
 5. आवेदक यदि अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिन्दी स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड—3, के सभी या किसी भी पद के लिये आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक पद हेतु पृथक—पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन—पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा एक पद के लिये केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत करें ।
 6. ई—मेल अथवा फैक्स के द्वारा प्रेषित आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे । बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन—पत्र निरस्त माना जावेगा । विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त एवं प्रेषित आवेदन—पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

वयन प्रक्रिया

(हिन्दी स्टेनोग्राफर, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड—3)

1. अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिन्दी स्टेनोग्राफर एवं सहायक ग्रेड—3 के पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा का आयोजन किया जावेगा ।
कौशल परीक्षा – 50 अंक

कौशल परीक्षा

अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु :— अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का अंग्रेजी श्रुत लेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा ।

हिन्दी स्टेनोग्राफर के पद हेतु :— हिन्दी स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी श्रुत लेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा ।

सहायक ग्रेड—3 के पद हेतु :— इस पद हेतु उम्मीदवार को 250 शब्द के गद्यांश को 10 मिनट में कम्प्यूटर में टाईप करना होगा ।

नोट :— कौशल परीक्षा हेतु उत्तर पुस्तिका की जांच छ0ग0 शासन रायपुर के टंकण, आशुलिपि एवं सक्रेट्रोयिल प्रेक्टिस में कापी जांचने के दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा ।

“परीक्षा एक दिवस में समाप्त नहीं होने पर आगामी तिथि को भी लिया जावेगा।”

चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची

कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं रिक्त पदों की संख्या की दोगुनी वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। प्रतीक्षा सूची, परिणाम घोषित करने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अन्य आवश्यक सूचनाएँ

1. ४०ग० शासन सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-१९६१ के नियम-८ के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होने पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जा सकेगी या सेवा समाप्त की जा सकेगी।
2. अभ्यर्थी को परीक्षा के किसी भी चरण में शामिल होने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
3. चयन उपरान्त कोई जानकारी असत्य पायी जाती है, तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
4. परीक्षा में सम्मिलित होने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनह पाये जाने पर उसका आवेदन/चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
5. महिला हेतु आरक्षित पदों पर योग्य महिला उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर उसी संवर्ग के पुरुष उम्मीदवार का चयन किया जा सकेगा।
6. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति एवं स्वारक्ष्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. चयनित उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन कराये जाने पर यदि कोई विपरीत टिप्पणी पाई जाती है, तो किसी भी समय सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
8. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
9. रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
10. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जायेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हे प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। यदि जन्मतिथि एवं प्राप्त अंक समान हो तो स्नातक परीक्षा में जिसका अंक ज्यादा होगा उसे प्राथमिकता दी जावेगी।
11. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर ४०ग० को होगा।
12. चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर ४०ग० का निष्कर्ष अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
13. कौशल परीक्षा के समय आवेदक के दाहिने हाथ का अंगूठा निशान लिया जायेगा।
14. प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन-पत्र में वांछित सभी जानकारी अत्यन्त सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के

आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन-पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा ।

15. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी ।
16. कौशल परीक्षा हेतु आवेदित प्रतिभागियों की पात्र एवं अपात्र सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय की वेबसाइट ecourts.gov.in/korea पर किया जावेगा । अपात्र प्रतिभागी उक्त सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे । तदुपरांत कौशल परीक्षा हेतु उपयुक्त प्रतिभागियों की सूची वेबसाइट पर अंतिम रूप से प्रकाशित कर कौशल परीक्षा की तिथि एवं कार्यक्रम भी वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी ।
17. कौशल परीक्षा हेतु पात्र प्रतिभागियों को उक्त परीक्षा हेतु पृथक से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जावेंगे । पात्र प्रतिभागी अपने प्रवेश पत्र वेबसाइट ecourts.gov.in/korea से डाउनलोड करें ।
18. कौशल परीक्षा हेतु पात्र उम्मीदवार वेबसाइट से डाउनलोड प्रवेश पत्र पर अपना छायाचित्र (पुर्व में आवेदन में संलग्न किया गया छायाचित्र के सदृश) एवं पहचान संबंधी दस्तावेज यथा वाहन चालन अनुज्ञप्ति, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड की मूल प्रति आवश्यक रूप से साथ लेकर उपस्थित होंवें, अन्यथा की दशा में उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा ।

स्थान :- बैकुण्ठपुर

दिनांक :- 21.11.2017

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरिया, बैकुण्ठपुर (छोगो)

आवेदन—पत्र का प्रारूप

प्रति,

**कायालिय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरिया, बैकुण्ठपुर ४०८०**

राजपत्रित अधिकारी से
सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट
फोटो चस्पा करें।

1. आवेदित पद का नाम :
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में)
(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में) :
3. पिता / पति का नाम :
4. वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु) :
5. स्थाई पता :
6. राष्ट्रीयता :
7. जन्म तिथि : दिनांक माह वर्ष
8. दिनांक 01.01.2017 को आयु : दिन माह वर्ष
9. जन्म स्थान :
10. वर्ग(अनुसूचित जाति / अनु०जनजाति) :
11. शैक्षणिक अर्हता (पद के न्यूनतम योग्यता से शुरू करें) :-

क्र०	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक / कुल अंक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

7.							
----	--	--	--	--	--	--	--

12. वर्तमान तथा पूर्व नौकरी का विवरण :
 (यदि है)
13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमाँक तथा दिनाँक :
 नवीनीकरण दिनाँक :
14. रोजगार कार्यालय का नाम :
15. क्या आप विवाहित हैं हाँ / नहीं :
16. दो से अधिक संतान होने की दशा में जीवित बच्चों की जन्मतिथि :
17. संलग्नों की सूची :-
- | | |
|---------|----------|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |

आवेदक के दाहिने हाथ का अंगूठा निशान

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा – पत्र

मैं घोषणा

करता / करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है एवं आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता / रखती हूँ । मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत असत्य या अपूर्ण पायी जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त की जा सकती है । इस संबंध में मुझे कोई नोटिस दिये बिना मेरी सेवाएँ समाप्त की जा सकती है ।

स्थान :
दिनांक :

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर
(पूरा नाम एवं पता)

हस्ताक्षर :

नाम :

पता :